डॉ० एस० सिद्धार्थ, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार

बिहार सरकार

विकास भवन, पटना - 800 015
फोन : 0612 - 2217016 (कार्यालय)
फैक्स : 0612 - 2235108
ई-मेल : secy-edn-bih@nic.in

पत्रांक–13/वि० 03–01/2016-327/ पटना, दिनांक– 11-04-2025

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– राज्य स्कीम महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के चयन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–1284 दिनांक–24.07.2023 एवं प्रथम स्मार 35/गो० दिनांक–03.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा राज्य स्कीम महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत जिलों में शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन करने हेतु वर्क कैलेण्डर तैयार कर उपलब्ध कराया गया था। परन्तु अभी भी कतिपय कारणों से विभिन्न जिलों में शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है।

जिला स्तर पर शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की रिक्ति से सम्बन्धित प्रासंगिक पत्र के द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार विवरणी के अनुसार (जिस रिक्त पदों पर चयन की जा चुकी है को छोड़कर) जिला स्तर पर जितने सामान्य जाति के शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को हटाया गया है तथा ऐसे अन्य सभी मामले जिनमें चयन/सेवामुक्ति से सम्बन्धित विवाद विचारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष लम्बित है उतने वादों एवं स्थान को सुरक्षित रखते हुए उक्त विवरणी के आलोक में जिला स्तर पर शेष रिक्त 2206 शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) (रिक्ति का विवरण संलग्न) का चयन मार्गदर्शिका 2018 में दिए गए निदेश के आलोक में किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित लक्ष्य अनुरूप ही शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन हो।

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना
शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के शेष बचे रिक्त पदों पर नियोजन हेतु

वर्क कैलेण्डर (नियोजन पत्र वितरण की तिथि–15 जून, 2025)

जहाँ सर्वेक्षण का कार्य पूरा है।

क्र० सं०	कार्य	कार्य विवरणी	तिथि	जिम्मेवारी
1.	रिक्ति निर्धारण	महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग आबादी बाहुल्य टोलों की प्रखण्डवार सूची के आधार पर चयन हेतु टोला एवं कोटि का निर्धारण।	10 अप्रैल, 2025 तक	जिला पदाधिकारी द्वारा चिह्नित पदाधिकारी
2.	समिति गठन	संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में नियोजन हेतु समिति का गठन।	15 अप्रैल, 2025 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
3.	विज्ञापन	नियोजन हेतु एन०आई०सी० के वेबसाईट तथा प्रखण्ड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस/सूचना के द्वारा प्रकाशन।	20 अप्रैल, 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
4.	आवेदन प्राप्त करना	समिति के सदस्य–सह–संयोजक (चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक) के द्वारा नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करना, तिथिवार पंजी में संधारण एवं आवेदक को प्राप्ति रसीद देना।	30 अप्रैल, 2025 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
5.	मेधा अंक की गणना	नियोजन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के मेधा अंक की गणना कर जिला के वेबसाईट, प्रखण्ड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित करना।	05 मई, 2023	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
6.	आपत्ति आमंत्रण	मेधा सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एक सप्ताह के अंदर आपत्ति प्राप्त करना, आपत्तिकर्ता को प्राप्ति रसीद देना तथा आपत्ति का तिथिवार पंजी में संधारण।	10 मई, 2025 तक	चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
7.	आपत्ति निराकरण	आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिन से तीन दिनों के भीतर आपत्ति का निराकरण एवं इससे संबंधित अभिलेख का संधारण।	15 मई, 2025 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
8.	अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन	समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची तैयार कर जिला के वेबसाईट/जिला कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन।	22 मई, 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
9.	मेधा सूची का अनुमोदन	मेधा सूची का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदन कर नियोजन पत्र संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना।	29 मई, 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)
10.	प्रशिक्षण हेतु नवचयनित शिक्षा सेवकों की सूची सूची का प्रेषण	नवचयनित शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की सूची पाँच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जन शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना।	05 जून, 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)
11.	प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र वितरण	चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का पांच दिवसीय प्रशिक्षण/उन्नमुखीकरण तथा प्रशिक्षण के उपरान्त नियोजन पत्र का वितरण।	15 जून, 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना
शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के शेष बचे रिक्त पदों पर नियोजन हेतु
वर्क कैलेण्डर (नियोजन पत्र वितरण की तिथि–30 जून, 2025)
जहाँ सर्वेक्षण का कार्य अधूरा है।

क्र० सं०	कार्य	कार्य विवरणी	तिथि	जिम्मेवारी
1.	आबादी की प्रखण्डवार सूची तैयार करना	सर्वे या जिला में उपलब्ध सेकेन्डरी सोर्स के आंकड़ों के आधार पर पूरे जिले की महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग आबादी बाहुल्य टोलों की अधिकतम से घटते क्रम में (आबादी के आधार पर) प्रखण्डवार सूची तैयार करना।	15 अप्रैल, 2025 तक	जिला पदाधिकारी द्वारा चिह्नित पदाधिकारी
2.	रिक्ति निर्धारण	महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग आबादी बाहुल्य टोलों की प्रखण्डवार सूची के आधार पर चयन हेतु टोला एवं कोटि का निर्धारण।	25 अप्रैल, 2025 तक	जिला पदाधिकारी द्वारा चिह्नित पदाधिकारी
3.	समिति गठन	संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में नियोजन हेतु समिति का गठन।	30 अप्रैल, 2025 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
4.	विज्ञापन	नियोजन हेतु एन०आई०सी० के वेबसाईट तथा प्रखण्ड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस/सूचना के द्वारा प्रकाशन।	05 मई, 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
5.	आवेदन प्राप्त करना	समिति के सदस्य–सह–संयोजक (चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक) के द्वारा नियोजन हेतु आवेदन प्राप्त करना, तिथिवार पंजी में संधारण एवं आवेदक को प्राप्ति रसीद देना।	20 मई, 2025 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
6.	मेधा अंक की गणना	नियोजन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन के मेधा अंक की गणना कर जिला के वेबसाईट, प्रखण्ड एवं पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित करना।	23 मई, 2023	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
7.	आपत्ति आमंत्रण	मेधा सूची में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एक सप्ताह के अंदर आपत्ति प्राप्त करना, आपत्तिकर्ता को प्राप्ति रसीद देना तथा आपत्ति का तिथिवार पंजी में संधारण।	30 मई, 2025 तक	चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
8.	आपत्ति निराकरण	आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिन से तीन दिनों के भीतर आपत्ति का निराकरण एवं इससे संबंधित अभिलेख का संधारण।	05 जून, 2025 तक	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
9.	अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन	समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची तैयार कर जिला के वेबसाईट/जिला कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन।	10 जून, 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं चिह्नित विद्यालय के प्रधानाध्यापक
10.	मेधा सूची का अनुमोदन	मेधा सूची का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा 15 दिनों के अंदर अनुमोदन कर नियोजन पत्र संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना।	15 जून, 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)
11.	प्रशिक्षण हेतु नवचयनित शिक्षा सेवकों की सूची सूची का प्रेषण	नवचयनित शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की सूची पाँच दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जन शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना।	20 जून, 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)
12.	प्रशिक्षण एवं नियोजन पत्र वितरण	चयनित शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का पांच दिवसीय प्रशिक्षण/उन्नमुखीकरण तथा प्रशिक्षण के उपरान्त नियोजन पत्र का वितरण।	30 जून, 2025 तक	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)

शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर शत् प्रतिशत् चयन हेतु कालबाधित कार्यक्रम तैयार किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

(1)	**जहाँ सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है –**	**चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने की अन्तिम तिथि दिनांक–15 जून, 2025 तक**
(2)	**जहाँ सर्वेक्षण का कार्य अधूरा है –**	**चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने की अन्तिम तिथि दिनांक–30 जून, 2025 तक**

अतः अनुरोध है कि संलग्न वर्क कैलेण्डर के अनुसार शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाए।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक–यथोक्त।

11/4/25

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–13/वि० 03–01/2016-327/ पटना, दिनांक–11-04-2025/

प्रतिलिपि :– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आप स्वयं व्यक्तिगत रूचि लेते हुए संलग्न वर्क कैलेण्डर के अनुसार शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन पूर्ण करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।

11/4/25

अपर मुख्य सचिव।